भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3040
उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026
22 श्रावण, 1948 (शक)

फुटबॉल को प्रोत्साहन

3040 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत को फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में सहायता हेतु कोई दीर्घकालिक रणनीतिक खाका तैयार किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने भारत में एक फलते-फूलते फुटबॉल उद्योग से, विशेष रूप से रोज़गार सृजन, खेल पर्यटन और खेल सामग्री के घरेलू विनिर्माण के संदर्भ में होने वाले संभावित वित्तीय और वृहद आर्थिक लाभों का कोई आकलन किया है;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित समर्पित फुटबॉल अकादमियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से गैर-पारंपरिक राज्यों में, देशभर में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) किसी विशिष्ट खेल विधा के विकास और संवर्धन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) का होता है, फुटबॉल के मामले में यह उत्तरदायित्व अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) का है। सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से एआईएफएफ सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, किसी देश की फुटबॉल टीम का फीफा विश्व कप में भाग लेना फीफा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के अधीन है। एआईएफएफ ने अपनी वेबसाइट https://www.the-aiff.com/ पर विजन 2047 – द इंडियन फुटबॉल स्ट्रैटेजिक रोडमैप (2023–2047) प्रकाशित किया है, जिसमें भारत में फुटबॉल के विकास के लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीति का उल्लेख किया गया है।

(ख) फुटबॉल देश के लोकप्रिय खेलों में से एक है और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ तथा अन्य संबंधित हितधारक फुटबॉल को केवल एक खेल विधा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बहुआयामी क्षेत्र के रूप में देखते हैं, जो रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण में तेजी लाने में सक्षम है।

शौकिया/अर्ध-पेशेवर फुटबॉल से संगठित लीगों की ओर परिवर्तन से कोचिंग, खेल चिकित्सा, प्रसारण, आयोजन स्थल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में रोजगार की मांग बढ़ी है।

फुटबॉल घरेलू अंतर-राज्यीय यात्रा तथा अंतरराष्ट्रीय खेल पर्यटन, दोनों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में उभरा है। वर्ष 2017 में फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप, वर्ष 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप तथा एएफसी महिला एशियाई कप (2022) जैसे प्रमुख स्पर्धाओं की भारत द्वारा सफलतापूर्वक मेजबानी ने उन शहरों को, जहाँ इन मैचों का आयोजन हुआ, खेल पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित किया है।

इसके अतिरिक्त, खेल क्षेत्र में देशज विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं को बढ़ावा देने के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय "मेक इन इंडिया" पहल और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप, मंत्रालय ने जनवरी 2026 में एआईएफएफ सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अपने-अपने संगठनों में "खेलों में मेक इन इंडिया संबंधी समितियों" का गठन करने के लिए कहा है। समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित खेल में उन क्षेत्रों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप देशज उपकरणों, प्रौद्योगिकी, परिधान और सहायक सेवाओं को अपनाया अथवा उनका विस्तार किया जा सकता है, ताकि "मेक इन इंडिया" पहल के उद्देश्यों और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया जा सके।

(ग) फुटबॉल राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और एसटीसी के विस्तार केंद्र सहित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत समर्थित प्राथमिक खेल विधाओं में से एक है, जहाँ पहचाने गए एथलीटों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत 25 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए) को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से 5 अकादमियाँ विशेष रूप से फुटबॉल के लिए समर्पित हैं, जबकि शेष अकादमियाँ अन्य खेल विधाओं के साथ फुटबॉल को भी एक खेल विधा के रूप में संचालित करती हैं। साई की खेल संवर्धन स्कीम और खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित फुटबॉल अकादमियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) देशभर में निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका उद्देश्य विभिन्न आयु वर्गों में

जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पोषण प्रदान करना है:

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- साई के विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)
 (इसकी उप-स्कीमें – नियमित विद्यालय, आईजीएमए और अखाड़े)।

साथ ही, देश में फुटबॉल के विकास और संवर्धन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी एआईएफएफ को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी, एथलीटों के प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी एक्सपोजर, विदेशी कोचों और सहायक कार्मिकों की नियुक्ति आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करके मजबूत जमीनी स्तर के विकास, पेशेवर कोचिंग, एथलीटों को वैज्ञानिक सहयोग तथा बढ़े हुए प्रतियोगी एक्सपोजर को सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान किया गया है कि उनके वार्षिक बजट का कम-से-कम 20% हिस्सा संबद्ध इकाइयों के माध्यम से जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं।

अनुबंध

फुटबॉल को प्रोत्साहन के संबंध में श्री कार्तिकेय शर्मा, माननीय राज्य सभा सदस्य द्वारा दिनांक 13/08/2026 के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3040 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

साई केंद्रों तथा खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए), जहाँ फुटबॉल का प्रशिक्षण प्रदान दिया जाता है, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**साई केंद्रों की संख्या**	**केआईएए की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-
2.	असम	6	1
3.	चंडीगढ़	1	2
4.	दिल्ली	-	1
5.	**गोवा**	**-**	**1**
6.	गुजरात	-	1
7.	हरियाणा	-	1
8.	झारखंड	1	1
9.	कर्नाटक	-	2
10.	केरल	2	3
11.	लक्षद्वीप	1	-
12.	महाराष्ट्र	-	1
13.	मणिपुर	2	3
14.	मेघालय	1	-
15.	नागालैंड	1	-
16.	ओडिशा	3	-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साई केंद्रों की संख्या	केआईएए की संख्या
17.	पंजाब	-	1
18.	राजस्थान	3	-
19.	सिक्किम	1	-
20.	तमिलनाडु	1	3
21.	तेलंगाना	-	1
22.	त्रिपुरा	1	-
23.	उत्तर प्रदेश	1	-
24.	उत्तराखंड	-	1
25.	पश्चिम बंगाल	4	2
कुल		**31**	**25**
